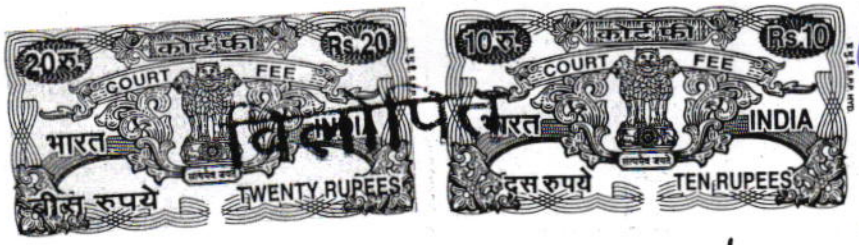

कोर्ट फी 20रु. Rs.20 COURT FEE भारत TWENTY RUPEES बीस रुपये
कोर्ट फी 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES दस रुपये

विलोपित

(160)

-1- R- 2000 -II/16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

श्री दिलीप गोस्वामी एड. द्वारा आज दि. 23-6-16 को प्रस्तुत
23-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

1. देवेन्द्र कुमार तनय स्व. श्री पुरूषोत्तम नारायण चौबे, पेशा काश्तकारी, मजदूरी निवासी ग्राम मेंगूस पोस्ट परसोन, तह. मालथौन, जिला सागर (म०प्र०) ....आवेदक

//विरूद्ध//

1. हीरालाल तनय श्री गनेश
2. श्रीमती अतल बाई उर्फ आनंदी रानी पत्नी हीरालाल
3. कमलेश तनय श्री दलवे
4. श्रीमती मीरा बाई पत्नी कमलेश
5. आशाराम, शिवराम दोनों तनय श्री करियॉ
निवासी ग्राम मेंगूस पोस्ट परसोन, तह. मालथौन, जिला सागर (म०प्र०) ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमॉंक 403/अ–19/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 02–04–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश जिसमें अनावेदकगणों को अनाधिकृत रूप से पट्टे जारी किए गए थे जिससे परिवेदित होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो समय अवधि पर ही निराकृत की गई है। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अग्राह्य किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि अपर आयुक्त सागर द्वारा एवं अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोषो पर न कर समयवधित मान्य करते हुए प्रकरण निराकृत किय। है जबकि आवेदक के पिता द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जाती है रही है जिनका देहांत हो जाने के उपरांत आवेदक के कब्जे में दखल किए जाने पर नायब तहसीलदार मालथौन द्वारा बंटन प्रकरण क्र. 10/अ–19/2001–2002 आदेश दिनांक 31–05–2002 के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की थी एवं शासकीय भूमि के पट्टे 8 दिन पूर्व दिनांक 23.05.2002 को आवंटित किए गए है जबकि आदेश दिनांक 31.05.2002 को किया गया है वैद्यानिक प्रकिया के आभाव में किया गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग० - 2000 - III/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.7.16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गये। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र.क्र. 403/अ—19/2015—16 में पारित आदेश दि. 02/04/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त सागर द्वारा एवं अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा प्रकरण का निराकरण गुंणदोषो पर न कर समयवधित मान्य करते हुए प्रकरण निराकृत किया है जबकि आवेदक के पिता द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जाती है रही है जिनका देहांत हो जाने के उपरांत आवेदक के कब्जे में दखल किए जाने पर नायब तहसीलदार मालथौन द्वारा बंटन प्रकरण क्र. 10/अ—19/2001—2002 आदेश दिनांक 31—05—2002 के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की थी जो समयसीमा में मान्य की जाना थी एवं यह देखा जाना था कि जिन लोगों को आवेदक के कब्जेवाली भूमि का बंटन किया गया है। वे पात्रता के अंतर्गत आते है अथवा नहीं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— उनका यह भी तर्क है कि आवेदक के पिता द्वारा व्यवहारवाद दायर किया था जिसमें आवेदक के कब्जे का निराकरण राजस्व न्यायालय से कराये जाने का उल्लेख आदेश के पैरा 24 व 25 में किया गया है अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.06.1986 में कलेक्टर सागर द्वारा आदेश दिनांक 23.09.1985 के अनुसार वर्ष 68—69 से आवेदक के पिता का कब्जा होना एवं उनके पक्ष व्यवस्थित ना कर मात्र एकड़ भूमि आवंटित किए जाने का उल्लेख करते हुए स्वत्व पर विचार किए जाने का आदेश पारित किया है किंतु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण गुणदोषों पर विचार में किए बिना ही आग्राहय किया है। उनका कहना है जिन लोगों को पट्टे पर भूमि दी गई है उन्होंने शासकीय पट्टे की भूमि प्राप्त कर बेंचकर	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	व हस्तांरित कर पुनः पट्टा प्राप्त किया है अनावेदकगणों में से कुछ तो एक ही परिवार के सदस्य होने के उपरांत भी पृथक–पृथक रूप से शासकीय पट्टा प्राप्त कर लिया है। तथा वैद्यानिक प्रक्रिया के अभाव में शासकीय भूमि के पट्टे 8 दिन पूर्व दिनांक 23.05.2002 को आवंटित किए गए है जबकि आदेश दिनांक 31.05.2002 को किया गया है इस कारण वैद्यानिक प्रक्रिया के आभाव में किया गया है किया गया आवंटन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 5– आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों अवलोकन किया। अनावेदकगणों को जारी किए गए वंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को धारा 5 समय सीमा से परे मान्य कर अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा अपील खारिज की गई है इसी आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा करते हुए प्रकरण प्रारंभिक सुनवाई में ही अग्राह्य किया गया है। आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उसके पिता द्वारा व्यवहारवाद दायर किया था जिसके पैरा क. 24, 25 में आवेदक का कब्जा एवं स्वत्व अर्जित होने के प्रश्न पर भू–राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही के निर्देश आवेदक को दिए गए है। इस कारण उसके कब्जे वाली भूमि पर किए गए वंटन की जॉच किए बिना अपील समयवधित मानकर निरस्त किए जाने से पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2015 निरस्त करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी खुरई को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक एवं अनावेदकगणों को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए वंटन पात्र व्यक्तियों को किया गया है कि नहीं इसकी समुचित जांच उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण गुंणदोषों पर करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं आदेश प्रति अनुविभागीय अधिकारी खुरई को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	